क्रमांकः पीसीएच–एचबी (15)6/15 –पं0सहा0– 20326–37
हिमाचल प्रदेश सरकार
पचांयती राज विभाग।

सेवा में,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं
अतिरिक्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–9 19 अगस्त, 2015.

विषयः दिनांक 31.3.2015 तक 5 वर्ष का अनुबन्ध कार्यकाल पूर्ण कर चुके पदनामित पंचायत सचिवों को नियमित करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि पचांयती राज संस्थाओं में कार्यरत अनुबन्ध पदनामित पचांयत सचिवों की नियमितिकरण की मांग पर विचार करने के उपरान्त सरकार द्वारा दिनांक 31.3..2015 तक अनुबन्ध आधार पर 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके 1132 पदनामित पचांयत सचिव अनुबन्ध को सम्बन्धित जिला परिषद में अनुबन्ध के सृजित 1132 पदों को नियमित पद में परिवर्तित करते हुए अनुबन्ध के 1132 पद समाप्त करके वेतनमान 5910–20200+1900 ग्रेड पे में नियमित करने का निर्णय लिया गया है जिस हेतु सरकार द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। पदनामित पंचायत सचिव (अनुबन्ध) के जिला परिषद में नियमित हो जाने के उपरान्त अनुबन्ध के 1132 पद समाप्त समझे जाए। नियमित पदों के सृजन तथा अनुबन्ध पदों को समाप्त करने सम्बन्धी प्रारूप आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। पदनामित पंचायत सचिव (अनुबन्ध) के नियमितिकरण की सिफारिश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित छानबीन समिति जिसमें जिला अंकेक्षणाधिकारी/अधीक्षक ग्रेड–11 सदस्य तथा सचिव जिला परिषद सदस्य सचिव होंगे, द्वारा की जाएगी। नियमितिकरण हेतु सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति पदनामित पचांयत सचिवों की सख्यां (जिलाबार) एवं नियुक्ति पत्र का प्रारूप मार्गदर्शन हेतु संलग्न है। नियमितिकरण की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियुक्ति आदेश दिनांक 31.8.2015 तक जारी कर दिए जाएं। यदि इस सम्बन्ध में आगामी दिशा–निर्देश या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप निदेशालय से सम्पर्क करें।

संलग्नः यथाचर्चित

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पचयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0संख्याः पीसीएच–एचबी (15)6/15 –पं0सहा0–20338-452 दिनांक 19 अगस्त, 2015.
प्रतिलिपिः

1) सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मन्त्रीमण्डल द्वारा दिनांक 07.08.2015 को लिए गए निर्णय की अनुपालना में सूचनार्थ।
2 समस्त सचिव जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3) समस्त जिला अंकेक्षणाधिकारी/अधीक्षक, कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी हि0प्र0।
4) समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4) अधीक्षक, बजट शाखा राज्यमुख्यवास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पचंयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

No. PER (AP) C-B (2)-2/2015
Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

Dated: Shimla-171002, the 7th May, 2015

From

The Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

Subject: - Regularization of contract appointees in the Government Departments-Instructions thereof.

Sir,

In continuation of this Department letter number Per (AP)-C-B (2)-3/2012 dated 28th June, 2014, I am directed to say that the matter regarding regularization of services of contractual employees working in various Departments was under consideration of the Government for some time past. Now, it has been decided by the Government to regularize the services of the contractual appointees after completion of five years service as on 31-03-2015, provided that they have been engaged, as such, after observing all codal formalities, subject to the following terms and conditions:-

1. The contractual appointees will be eligible for regularization only against the available vacancies.
2. The regularization will be strictly on the basis of seniority subject to conditions that eligibility criteria etc. prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post have been observed at the time of their initial recruitment on contract.
3. The candidate should be medically fit for the post against which he/she is being considered for regularization. Obtaining the Medical fitness certificate of the candidate shall be ensured in accordance with the provisions contained in FR 10 and SR 4 (1), 4 (2) and 4 (3).
4. The regularization shall be subject to verification of character and antecedents of the candidate being considered for regularization as provided in the H.P Financial Rules.
5. For the determination of date of birth of the candidate concerned, the criteria as laid down in Rule 7.1 of the H.P. Financial Rules Vol.-I Hand-Book No. 2 shall be observed.

...Contd. at P/-2...

6. A Screening Committee shall be constituted in the Department concerned for regularization.
7. The contractual appointees who are to be regularized shall be appointed at the minimum of the time scale of the post:
8. The contractual appointee who are regularized shall be liable to be posted anywhere within the State.
9. Observance of reservation in the service as per instructions of the State Government from time to time will also be ensured at the time of regularization.
10. The regularization will be with prospective effect i.e. from the date of issue of regularization orders.

2. The aforesaid instructions may kindly be brought to the notice of all concerned for strict compliance and the receipt of the same may also be acknowledged.

Yours faithfully,

(Prem Singh Thakur)
Joint Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.
Phone No.0177-2624183

Endst. No. Per (AP)C-B(2)-2/2015 Dated: Shimla-171002, 7th May, 2015.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
2. The Additional Secretary (GAD) to the Govt. of H.P., Shimla-2, with reference to CMM item No. 23 dated 06.05.2015.
3. The Joint Secretary (Finance-Expenditure) to the Government of Himachal Pradesh.
4. The Finance (Regulation) Department, H.P. Secretariat.
5. All the Section Officers in H.P. Secretariat, Shimla-171002 for necessary action.
6. Copy to Guard file (100 spare copies).

(Prem Singh Thakur)
Joint Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.
Phone No.0177-2624183.

*****

पंचायत सचिव अनुबन्ध/सहायकों की जिला बार सूचना

क्र0सं	जिला का नाम	ग्रा0पं0 की संख्या	अनुबन्ध आधार पर पदनामित पंचायत सचिवों की संख्या	दिनांक 31.3.2015 तक 5 वर्ष पूर्ण कर चुके पदनामित पंचायत सचिवों की संख्या
1	बिलासपुर	151	62	49
2	चम्बा	283	126	100
3	हमीरपुर	229	85	66
4	कांगडा	760	302	286
5	किन्नौर	65	39	07
6	लाहौल स्पिति	41	16	15
7	मण्डी	473	177	140
8	शिमला	363	140	111
9	सोलन	211	88	68
10	सिरमौर	228	98	70
16	उना	235	104	79
12	कुल्लू	204	77	52
	योग:	3243	1314	1132

प्रारूप

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

संख्या.............................. दिनांक ....

कार्यालय आदेश

निदेशक एवं विशेष सचिव, पंचायती राज के पत्र दिनांक ....के दृष्टिगत जिला परिषद सोलन में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का अनुबन्ध आधार के एक. पद को समाप्त करके जिला परिषद काडर में एक पद नियमित आधार पर सृजित किया जाता हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद।

पात्रता शर्तें

1) कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने के उपरान्त वह 2 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर रहेंगें । उनकी कार्यकुशलता संतोषजनक न होने की स्थिति में एक वर्ष और बढाया जा सकता है। उक्त अवधि के दौरान यदि वांछित हो तो उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के एक मास का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2) कर्मचारियों की सेवा उन शर्तो व आचरण के नियमों जो समय–समय पर कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए, के पालन के लिए प्रतिबन्धित होंगें।

3) कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने के उपरान्त उनकी तैनाती जिला परिषद के अन्तर्गत किसी भी ग्रांम पचांयत में की जा सकती है।

4) कर्मचारियों की वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जाएगी।

5) कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे शारीरिक दृष्टि से योग्य घोषित करने पर ही वैद्य मानी जाएगी। उसे कार्यभार सम्भालने से पूर्व यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6) कर्मचारियों को किसी मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से जो उसे कम से कम पिछले 3 वर्षो से जानता हो द्वारा सत्यापित विवाह सम्बन्धी घोषणा पत्र कार्यभार सम्भालते समय प्रस्तुत करना होगा।

7) कर्मचारियों की नियुक्ति उसके चाल–चलन के सत्यापन पर ही वैद्य मानी जाएगी जो कि सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उम्मीदवार की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर–2 करवाई जाएगी।

8) कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति के समय सार्वजनिक रूप से अपनी चल–अचल सम्पति की घोषणा सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

9) कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यभार सम्भालने के समय इस आश्य की घोषणा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग से निष्कासित कर्मचारी नहीं है।

10) कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यभार सम्भालने के समय निर्धारित प्रपत्र पर संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी।

11) कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (जिला परिषद में नियुक्त पंचायत सहायकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2014 दिनांक 16.7.2014 की अधिसूचना में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो।

12) कर्मचारियों को अपनी नियमित नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार सम्भालते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व दसवी कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जिसमें उनकी जन्म तिथी अंकित हो, की सत्यापित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

13) कर्मचारियों को अपनी नियमित नियुक्ति के समय हिमाचल वासी होने का प्रमाण पत्र व अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विकलांग/सपोर्टस कोटे से सम्बन्धित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

14) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सूचना दस्तावेज आदि जानबूझकर नियुक्ति अधिकारी के ध्यान में नहीं लाए जाए व झूठे पाए जाते है, तो उसे नौकरी से निकाले जाने तथा विभाग द्वारा उनके विरूद्ध की जाने वाली किसी कानूनी कार्रवाही के भागीदार होगें।

O/o Secretary
Zila Parishad.......................

No: dated

Memorandum

On the recommendation of Screening Committee of Zila Parishad................ following contractual Re-designated Panchayat Sachiv are hereby regularized on temporary basis in the pay scale of (Rs. 5910-20200+1900) under Zila Parishad Cadre.

S.N.	Name of candidate	Present place of posting	Place of posting after regularization

The appointee will be entitled to draw dearness and allowances at the rates admissible and subject to the conditions laid down in the rules and orders, governing grand of such allowances in force from time to time.
The terms of appointment are as under:-

1 The appointment is temporary but likely to be permanent.
2 The appointment carries with the liability to serve in any part of District.
3 The candidate shall be on probation for a period of twoyears as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and services of any candidates are liable to be terminated by giving one month notice, if his services and conduct are not found to be satisfactory.
4 After completion of probation period the appointment can be terminated at any time by giving one month notice or pay in a lieu thereof by the appointing authority without assigning any reason.
5 The appointment will be further subject to the production of the following certificates/declaration:

a) Certificate on medical fitness issued by the Competent Authority of concerned distt. before joining the post.

b) A declaration that he does not/shall not have more than one living wife duly certificate by Magistrate/Gazetted Officer known to him for at least three years.
c) Declaration regarding movable and immovable properties.
d) Taking of an oath of office secrecy and oath of allegiance/faithful to the constitution of India or making a solemn affirmation to that effect.
e) Production of the following certificates:

i) Certificate of age and qualification.
ii) Character certificate from the Magistrate First Class of Gazetted Officer to whom the candidate may be known for the last three years.
iii) Certificate if SC/ST/OBC.

The appointment is subject to his character and antecedents being found satisfactory on verification.

No travelling allowances will be allowed to joining the appointment.

The seniority will as per list already prepared by Secretary Zila Parishad at distrect level on the basis of date of joining reported by Executive Officer Panchayat Samiti.

If above candidate, accept the offer on the terms and conditions mentioned hereinabove, they should submit their joining report as in the place mentioned against their names along with relevant documents within 15 days, failing which the appointment will be treated as cancelled.

Secretary Zila Parishad
Zila Parishad.................

Endst No **dated**

Copy to:

1
2
3

Secretary Zila Parishad
Zila Parishad.................